भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3940** जिसका उत्तर

गुरूवार, 12 **दिसम्बर**, 2019/21 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है

पोतों का पुनर्चक्रण संबंधी विधेयक

3940. डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोतों का पुनर्चक्रण संबंधी विधेयक, 2019 को पारित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हांगकांग इंटरनेशनल कंवेन्शन फॉर दी सेफ एंड एनवायरॉनमेंटली साउंड रिसायक्लिंग ऑफ शिप्स, 2009 की स्वीकृति का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पोतभंजन और पुनर्चक्रण के विकास और विनियमन हेतु अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): जी हां। पोतों का पुनर्चक्रण संबंधी विधेयक, 2019 दिनांक 03.12.2019 को लोक सभा द्वारा तथा दिनांक 09.12.2019 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है।

(ग) और (घ): जी हां। भारत ने दिनांक 28.11. 2019 को "पोतों के सुरक्षित एवं पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत पुनचर्क्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय हांगकांग कन्वेंशन, 2009 (हांगकांग इंटरनेशनल कंवेन्शन फॉर दी सेफ एंड एनवायरॉनमेंटली साउंड रिसायक्लिंग ऑफ शिप्स, 2009) का अनुसमर्थन किया है।"

(ङ): सरकार ने देश में पोत भंजन एवं पोत पुनर्चक्रण के विनियमन के लिए पोत भंजन कोड (संशोधन), 2013 जारी किया है।

*****